मुकदमा नं०	सन्	अनवान	बनाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म व में ज
	06.12.2019 अभिभाषकगण उपस्थित। अप्राथी रघुवीर सिंह द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की चीनी 1.50 क्विंटल ज्यादा दर्शाकर प्रार्थी का लाईसेंस सस्पेंड किया गया था । प्रार्थी के पास अन्नपूर्णा भण्डार भी है जिसकी दुकान उ0मू0दु0 के साथ है जिसे भूलवंश एफपीएस दुकान के स्टाक में मान लिया गया । प्रार्थी का जबाब स्वीकार कर दिनांक 18.12.17 को लाईसेंस बहाली के आदेश जारी कर दिये गये। अतः 6ए का प्रकरण समाप्त फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा दिनांक 29.8.17 को रघुवीर सिंह उचित मूल्य दुकानदार थालडका की जांच में 1.50 क्विंटल चीनी अधिक पाये जाने पर प्रकरण अर्न्तगत धार 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम इस न्यायालय में पेश किया गया। इस न्यायालय के पत्रांक 158 दिनांक 05.2.18 द्वारा जब्त शुद्धा चीनी को सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर उचित मूल्य के दुकानदार के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरण करवाने के आदेश दिये गये। इस प्रकार जब्त शुद्धा चीनी का वितरण उपभोक्ताओं को किये जाने के आदेश पारित किये जा चुके हैं। इस प्रकार जब्त शुद्धा चीनी उपभोक्ताओं को वितरण के आदेश जारी होने से इसको राजसात किया जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम इसी स्तर पर दाखिल दफतर किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। (अशोक कुमार असीजा) अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजि0 नोहर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official